न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मु0 संख्या :– 22/2019

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री पारसराम दर्जी पुत्र अम्बाराम दर्जी उम्र 24 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम रिदवा पोस्ट हमीरा तहसील व जिला जैसलमेर 2. मैसर्स केवाय मॉ किराणा स्टोर मैन रोड, चांधन तहसील व जिला जैसलमेर 3. मैसर्स श्री बालाजी एजेन्सी जैसलमेर रोड, पोकरण जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री पारसराम दर्जी पुत्र अम्बाराम दर्जी।
3. श्री सुनील टावरी मैसर्स श्री बालाजी एजेन्सी जैसलमेर रोड, पोकरण जिला जैसलमेर।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 31.12.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2018 को 02:00 पीएम पर मैसर्स केवाय मॉ किराणा स्टोर मैन रोड, चांधन तहसील व जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री केवाय मॉ किराणा स्टोर मैन रोड, चांधन दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री पारसराम पुत्र अम्बाराम दर्जी कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नही होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में लाईट फेट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात लाईट फेट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड की नमूने वास्ते 500–500 एमएल के चार पैक डिब्बे लिये जिसके पेटे 400 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा लाईट फेट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड 500–500 एमएल के 14 डिब्बे में से चार नमूने लिये ओर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाए एवं बोतलो पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन–892 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

करवाये और बोतलो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-892 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-892 लाईट फैट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 23.10.2018 को स्वयं द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 22.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/4568-71 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./730/Act/2018/746 दिनांक 31.10.2018 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सबस्टेण्डर्ड) व मीथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-792/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री पारसराम दर्जी पुत्र अम्बाराम दर्जी जाति दर्जी निवासी ग्राम रिदवा तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स श्री केवाय मॉ किराणा स्टोर मैन रोड चांधन तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स श्री बालाजी एजेन्सी जैसलमेर रोड पोकरण जिला जैसलमेर ने अमानक (सबस्टेण्डर्ड) व मीथ्याछाप लाईट फैट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री पारसराम दर्जी दिनांक 30.08.
2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कम में जबाब
पेश कर निवेदन किया कि मेरी दुकान से जिला खादय निरीक्षण द्वारा लाईट
फैट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड का सैंपल उठाया गया था, जो कि खाने में प्रयोग न
होकर हवन, पुजा में काम आता है जो सबस्टैण्डर्ड ही आयेगा, और निवेदन
किया है कि मै गरीब परिवार से हूँ सेम्पल उठाने के बाद मेरी दुकान भी बंद
हो गई जिसका मेरी रोजी रोटी पर संकट आ खडा हुआ है, मेरे पास बंद डिब्बा
था, जिसका मेरे पास पक्का बिल भी है, जहाँ से माल आया था, उसको भी
सूचना मेरे व आप द्वारा भेजी गई है। मेरा माल श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट
जयपुर से पोकरण श्री बालाजी ऐजेंसी द्वारा आया था, जिसका मेने बिल भी
लगाया है अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझ गरीब पर रहम कर मुझे इस
वाद को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री सुनिल टावरी दिनांक 30.08.2019 को
न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कम में जबाब पेश कर
निवेदन किया कि मेरी दुकान से कैवाय किराणा स्टोर चांधन पारसाराम रिदवा
को लाईट फैट किचन स्पेशल वनस्पती ब्रांण्ड मधुश्री का माल दिया गया था,
जिसमें जिला खादय निरीक्षक द्वारा सेम्पल उठाया गया था, जो कि खाने में
प्रयोग न होकर हवन, पुजा में काम आता है, जो सबस्टैण्डर्ड ही आएगा।
सेम्पल उठने के बाद मेरी दुकान बंद की स्थिति मे आ गई, कोई भी व्यापारी
माल नही ले रहा है। जिसका मेरी रोजी रोटी पर संकट आ खडा हुआ हैं, मेरे
पास आगे से कंपनी का पैक माल आया था, जिसका मेरे पास पक्का बिल भी
है, जहाँ से जयपुर से पोकरण श्री बालाजी ऐजेंसी द्वारा गया था जिसका मेरे से
बिल नही लगाकर सीधा मुझ पर ही नोटिस जारी किया गया है, आगे से में
इस तरह का काम कभी नही करूगा। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मुझ
पर रहम कर मुझे इस आरोप से मुक्त कर प्रकरण को निरस्त करने का
निवेदन किया गया।

4. प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं
अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का
अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ
कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.
L.S./730/Act/2018/746 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार लाईट फैट वनस्पती
मधुश्री ब्रांण्ड का उक्त नमूना अमानक (सबस्टेण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप पाया गया हैं।
वही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है, तथा
अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा
है। जिससे अप्रार्थीगण पर अमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप स्तर के लाईट
फैट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड का विकय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण
द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा
2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम
2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थीगण श्री पारसराम दर्जी जो मैसर्स केवाय
माँ किराणा स्टोर मैन रोड, चांधन जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर एवं
अप्रार्थी संख्या 03 श्री सुनिल टावरी जो मैसर्स श्री बालाजी एजेन्सी जैसलमेर
रोड, पोकरण जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर पर अमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं

याय निर्णय अधिकारी एवं
...

Scanned by CamScanner

मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु लाईट फैट वनस्पती मधुश्री ब्रांण्ड विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/- अक्षरे पॉच हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 5,000/- अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner